

संशोधित प्रेस नोट दिनांक 01-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

आपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हांकित कर ग्राम प्रधान के सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगवाये जाने के दृष्टिगत गोष्ठी का आयोजन किया गया ।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन त्रिनेत्र” के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के महत्वपूर्ण तिराहों/चौराहों का चिन्हांकन व ग्राम प्रधान के सहयोग से सीसीटीवी कैमरों के लगाये जाने हेतु आज दिनांक 01-03-2023 को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में लोहिया कला भवन, सभागार कक्ष में ग्राम प्रधान, सीसीटीवी के वेण्डर्स एवं पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया । आयोजन के दौरान ग्राम प्रधान, सीसीटीवी के वेण्डर्स एवं पुलिसकर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण तिराहों/चौराहों/कस्बों/बाजारों को चिन्हित कर ग्राम प्रधान के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाने हेतु दिशा निर्देश दिया गया । गोष्ठी में 250 से अधिक ग्राम प्रधानगण मौजूद रहे । क्षेत्रों/कस्बों में सीसीटीवी कैमरों के लगने से अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा व घटना के अनावरण में सफलता प्राप्त होगी ।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, डीपीआरओ, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण आदि उपस्थित रहे ।

प्रेस नोट दिनांक 01-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

ऑपरेशन प्रहार के तहत 02 अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज दिनांक 01-03-2023 को चोरी, लूट, मारपीट आदि में संलिप्त 02 नफर अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के थाना कपिलवस्तु व चिल्हिया पर धारा (3)3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी ।

निम्नलिखित अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-

- 1-अबु तालिब पुत्र अमीरुल्लाह उम्र 23 वर्ष निवासी हाजीजोत थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2-अख्तर पुत्र शमी मोहम्मद उम्र 23 वर्ष निवासी बस्ता थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 01.03.2023 साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर

साइबर अपराध से बचाव के क्रम में साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “साइबर क्राईम जागरूकता अभियान के संबंध में” दिए गए निर्देश के क्रम में व सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में व नोडल अधिकारी साइबर सेल गर्वित सिंह प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी अपराध व प्रभारी साइबर सेल सुबाष यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 01.03.2023 को डी० ए० वी० एजुकेशनल स्कूल, भीमापार में साइबर सेल से नि० सुबाष यादव, मु०आ० अतुल चौबे, आ० अजय कुमार यादव, आ० आशुतोष जायसवाल व थाना सिद्धार्थनगर से उ.नि. रतीश चंचल पाण्डेय , आ० पवन सिंह द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानकारी साझा किया गया।

साइबर अपराध के दृष्टिगत बचाव हेतु जानकारी साझा कर साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं cybercrime.gov.in पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया। साथ ही यह जानाकारी दिया गया कि -

- सोशल साइट के माध्यम से किसी भी अंजान व्यक्ति से कोई भी निजी जानाकारी साझा न करे और किसी भी प्रकार के ईनामी, लॉटरी जैसी लुभावने विज्ञापनों से सचेत रहे।
- किसी भी अंजान व्यक्ति के काल करने पर अपनी बैंक सम्बन्धी कोई भी निजी जानाकारी शेयर न करे जैस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगलपे/फोन पे पिन की जानाकारी इत्यादि।
- फोन, ई-मेल , एमएमएस , whatsapp या न्यूजपेपर के माध्यम से प्राप्त नौकरी, लॉटरी, पॉलिसी, बोनस, सस्ता लोन, आदि पर भरोसा न करे। पूर्ण रूप में जानाकारी प्राप्त कर ही कार्य करें।
- Facebook/Instagram/Twitter/Email/Whatsapp/JioChat/Telegram आदि सभी सोशल साइट्स एप के माध्यम की गयी बात/chat या धनराशि की मांग पर भरोसा न करे, फोन करके या मिलकर कन्फर्म अवश्य करें।
- महिला सशक्तिकरण जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धित अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 एवं महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस हेल्पलाइन 112 के बारे में जानाकारी प्रदान किया गया।

-
-
-

●

- साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इक्ठ्ठा करते हैं और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें। जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादी।
- ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्सटैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।
- अपने पासवर्ड को जटिल रखें (अर्थात अक्षरों – जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों – जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।
- वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता https (“s” से सुरक्षित) से शुरू होता है और एक बन्द ताले के निशान को भी देखें।
- ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।
- साइबर अपराध होने पर सूचना तत्काल हेल्प लाईन नं0 1930 पर व पुलिस को दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।
- सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।
- फोन पर कैश रिवार्ड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें।
- ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें।

अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम सेल सिद्धार्थनगर के मो0न0 8181818200 एवं 1930 पर सम्पर्क करें।

साइबर ठगों से सावधान! जानकारी और जागरूकता ही बचाव है।

प्रेस नोट - दिनांक 01.03.2023 थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

थाना जोगिया उदयपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व देवी गुलाम सिंह, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में अभिमन्यु सिंह, थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर के नेतृत्व में दिनांक 28.02.2023 को जोगिया उदयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवरतन उर्फ गुल्ले पुत्र प्यारे ग्राम - ककरही थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब - 29 वर्ष के पास से 900 ग्राम अवैध गाँजा अनुमानित मूल्य लगभग 50,000 रु0 की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 22/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अभिमन्यु सिंह, थानाध्यक्ष थाना जोगिया उदयपुर ।
2. उ0नि0 अजय कुमार सिंह यादव
3. कां0 अभय प्रताप यादव थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट:दिनांक 01.03.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 01.03.2023 को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व गर्वित सिंह क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल निर्देशन में अमरेश कुमार प्रभारी यातायात द्वारा बांसी मार्केट चौराहा ,जोगिया कस्बा, सनई चौराहा , साड़ी तिराहा आदि स्थानों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चस्पा किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 53 वाहनों से 56500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी एवं 04 वाहनों के वाहन चालकों द्वारा नशे की हालात मे वाहन चलाने पर चालान किया गया तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।

प्रेस नोट दिनांक 01.03.2023 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर

थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा निरपेक्ष व सुचितापूर्ण माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 01.03.2023 को मुस्लिम इंटर कालेज महादेइया थाना व जिला सिद्धार्थनगर में अबूवफा के स्थान पर सुफियान अहमद परीक्षा दे रहा था जिसे केन्द्र व्यवस्थापक की सूचना पर विद्यालय में परीक्षा देते हुए हिरासत पुलिस लिया गया एवं थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 60/2023 धारा 419/420 भादवि व धारा 9 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

01.सुफियान अहमद पुत्र अब्दुल कलाम निवासी गुलाबगढ़ वर्डपुर नं0 06 थाना कपिलवस्तु जिला सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. उ0नि0 अनूप कुमार मिश्र थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. हे0का0 शैलेन्द्र यादव थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 01.03.2023

साइबर अपराध से बचाव के क्रम में थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा साइबर जागरूकता के अभियान के तहत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में सूर्य प्रकाश सिंह थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश त्रिपाठी चौकी प्रभारी बिस्कोहर थाना त्रिलोकपुर के द्वारा आज दिनांक 01.03.2023 को रामप्रसाद मेमोरियल जूनियर हाईस्कूल बिस्कोहर के छात्र एवं छात्राओं को साइबर अपराध के सम्बंध में होने वाले अपराध के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 के बारे में बताया गया तथा अन्य हेल्पलाइन नम्बरों 112,1090,181,1098,1076,108 के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी गयी ।

प्रेस नोट दिनांक 01.03.2023 थाना कोतवाली कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर

कस्बा अलीगढवा के मार्टन पब्लिक स्कूल में चलाया गया साइबर जागरूकता अभियान

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश पर साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में ज्ञानेंद्र कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना कपिलवस्तु के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 01.03.2023 को निरीक्षक शशि भूषण पाण्डेय, उ0नि0 रमाकान्त सरोज, म0आ0 सोनम यादव, व म0आ0 श्रुति मिश्रा द्वारा कस्बा अलीगढवा के मार्टन पब्लिक स्कूल के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। तथा साइबर बुलिंग व साइबर ग्रुमिंग के विषय में बताते हुए उससे बचने के उपाय के विषय में विस्तार से बताया गया, तथा सरकार द्वारा साइबर हेल्प लाइन नं0 1930 के सम्बन्ध भी में बताया गया।